

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा



पीठासीन अधिकारी— नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 31/2018

यूको बैंक, शाखा: दौसा

...प्रार्थी

बनाम


श्री छोटेलाल मीणा पुत्र श्री गोकुल राम मीणा पता —(अ) 1:बी-2/114, मदन गिरी, नई दिल्ली
(ब) गुमलादो की ढाणी, जावोली का बाढ, बसवा, तह0 बसवा, जिला दौसा (स) वरिष्ठ
वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-11 (लाई डिटेक्टर) के कार्यालय में चालक, सेन्ट्रल फोरेन्सिक साइन्स
लेबोरेट्री, सीबीआई, ब्लॉक-4, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली -110003 वगैरह ...अप्रार्थी

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी यूको बैंक, शाखा: बसवा, दौसा ने अप्रार्थी श्री छोटेलाल मीणा वगै0 को 3,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी। उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

प्रार्थी बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी भी अनुपस्थित है। हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नही करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति खसरा नं0 3324 गुमलादो की ढाणी, बसवा, तह0 बसवा, जिला दौसा राजस्थान में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 177.78 वर्गगज है जो कि छोटेलाल मीणा पुत्र श्री गोकुल राम मीणा के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फ़ैसले शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक: 16 मई, 2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा